मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक–एफ–22–1/2007/ता–19 भोपाल,दिनांक 10 जून 2008

प्रति,

प्रमुख अभियन्ता,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग
मध्य प्रदेश

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि शासकीय भूमि आवंटन/शासकीय भवन आवंटन के कई प्रकरणों में कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री अथवा मुख्य अभियन्ता व्दारा शासकीय भूमि को अशासकीय,स्वैच्छिक एवं निजी संस्थाओं को आवंटित करने हेतु अनापत्ति दे दी जाती है या अनुशंसा की जाती है। इस संबंध में पूर्व में भी समय समय पर निर्देश जारी किए गये हैं। शासकीय भूमि/भवन आवंटन या लीज पर देने के संबंध में किसी प्रकार की अनुशंसा नहीं की जावे। शासकीय भूमि/भवन के आवंटन/लीज संबंधी प्रकिया राज्य शासन व्दारा निर्धारित है एवं यह विषय राजस्व विभाग के अन्तर्गत आता है।

2. अतः लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि शासकीय भूमि/भवन के आवंटन या लीज की अन्तरिम प्रकिया में अनापत्ति न दी जाय और न ही किसी प्रकार की अनुशंसा की जाय।

3. यदि जिले के कलेक्टर या संभागीय आयुक्त व्दारा स्थानीय स्तर पर अभिमत चाहा जाय तो उन्हें भूमि या भवन की केवल तथ्यात्मक जानकारी दी जा सकती है।

(P.T.O)

4. साथ ही यह भी सदैव ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी भूमि/भवन जो लोक निर्माण विभाग की भवन पुस्तिका में दर्ज है एवं सीधे विभाग के उपयोग में है, के आवंटन के संबंध में भी अनापत्ति नहीं दी जावे क्योंकि ऐसी भूमि/भवन की आवश्यकता लोक निर्माण विभाग अथवा शासन के अन्य विभाग को पड़ सकती है। विकास एक निरन्तर प्रकिया है तथा नवीन कार्यालय भवनों एवं अन्य लोक हित के लिए सार्वजनिक भवनों के निर्माण की आवश्यकता रहती है अतः यदि स्थानीय स्तर पर कोई भूमि अथवा भवन रिक्त भी हो तो भी इसके आवंटन के लिए अनापत्ति देने या अनुशंसा करने के अधिकार विभाग के कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री अथवा मुख्य अभियन्ता को नहीं है। लोक निर्माण विभाग की भूमि/भवन के अन्तरण का कोई विषय या प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर आता है तो संपूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रमुख अभियन्ता को भिजवाया जाय ताकि शासन स्तर पर समुचित निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावे तथा कड़ाई से पालन किया जावे।

(प्रभुदयाल मीना)
प्रमुख सचिव, 09/06/
लोक निर्माण विभाग

Executive Engineer [illegible]
Narsinghpur (M.P.)
Phon/FAX-07792-230503

पृ० क्र० ——— तक / न०प्र० / दिनांक ———
प्रतिलिपि :- अनुविभागीय अधिकारी लो० नि० वि० भ/स उपसंभाग नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाडरवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ./स.)
संभाग नरसिंहपुर
Phon/FAX-07792-230503